रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/97

REGD. NO. D. L.-33004/97

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 47] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 20, 1998/पौष 30, 1919
No. 47] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 20, 1998/PAUSA 30, 1919

indiacode

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 1998

का. आ. 70(अ).—केन्द्रीय सरकार, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित व्यक्तियों को केन्द्रीय कीटनाशी बोर्ड के सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट करने के लिए भारत सरकार के तत्कालीन खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा. का. नि. 301, तारीख 1 मार्च, 1971 का निम्नलिखित और संशोधन करती है :—

1. उक्त अधिसूचना में, खंड (XIX)(ग) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(XIX)(ग)

डॉ सी. सी. हाजरा,
कृषि आयुक्त,
कृषि एवं सहकारिता विभाग
नई दिल्ली"

2. इस अधिसूचना द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्य 6-1-2001 तक पद धारण करेगा।

[फा. सं. 19-4-95/पी पी-I(i)]

के. एम. चड्ढा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTUE

(Department of Agriculture and Cooperation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th January, 1998

S.O. 70(E).—In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968) the Central Government hereby nominates the following person as member to the Central Insecticides Board and make further amendments to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation No. GSR 301, dated the 1st March, 1971 as follows :—

1. In the said notification, for clauses (XIX) (c) and entries relating thereto the following shall be substituted, namely :—

(XIX) (c) Dr. C. R. Hazra,
Agriculture Commissioner,
Department of Agriculture and Cooperation,
New Delhi.

2. The member nominated through this notification shall hold office upto 06-01-2001.

[File No. 19-4/95-PP.I(i)]
K.M. Chadha, Jt. Secy.

Footnote : The Principal notification was published vide No. GSR 301, dated 1st March, 1971 and subsequently amended vide Nos.

(i) G.S.R. 1216, dated the 21st August, 1971.
(ii) G.S.R. 478(E) dated the 10th August, 1976.
(iii) S.O. 848(E) dated the 25th October, 1989.
(iv) S.O. 528(E) dated the 19th July, 1993.
(v) S.O. 849(E) dated the 20th October, 1996.
(vi) S.O. 346(E) dated the 24th April, 1997.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 1998

का. आ. 71(अ).—केन्द्रीय सरकार, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) की अधिसूचना सं. का. आ. 79(अ) तारीख 3 फरवरी, 1997 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में :—

(i) क्रम संख्या 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"1. डाक्टर सी. आर. हाजरा
कृषि आयुक्त,
कृषि एवं सहकारिता विभाग
नई दिल्ली अध्यक्ष"

(ii) क्रम संख्या 5 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अन्तः स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में :—

"5. प्रोफेसर जवाहर एस. बापना
प्रोफेसर तंत्रभेसज विज्ञान और निदेशक,
मानव व्यवहार और संबद्ध विज्ञान संस्थान
झिलमिल, नई दिल्ली सदस्य"

3. अध्यक्ष और सदस्य तब तक अपने पद पर बने रहेंगे जब तक वे केन्द्रीय कीटनाशी बोर्ड के सदस्य के पद पर बने रहेंगे।

[फा. सं. 19-4/95-पी. पी.-I]
के. एम. चड्ढा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 20 January, 1998

S.O. 71(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture (Department of Agriculure and Cooperation) number S.O. 79(E), dated the 3rd February, 1997, namely :—

In the said notification :—

1.(i) for serial number 1 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely :—

"1. Dr. C.R. Hazra,
Agriculture Commissioner,
Department of Agriculture and Cooperation,
New Delhi. Chairman".

(ii) after serial number 5 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely :—

"6. Professor Jowahar S. Bapna,
Professor, Neuropharmacology and Director,
Institute of Human Behaviour and Allied Sciences,
Jhilmil, New Delhi. Member".

2. The Chairman and the Member shall hold the office as long as they hold the office of the Member, Central Insecticides Board.

[File No. 19-4/95-PP.I]
K. M. CHADHA, Jt. Secy.

IndiaCode

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1998